विजेंडर जैन, सी.जे. & और कंवलजीत सिंह अलिलुवालिया, जे. के समक्ष

अनिल जैन (टीनू), - अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादी

2007 में एलपीए नंबर 66 C.W.P. 2006 की संख्या 14083

31 जुलाई, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1973-आरआई.70(4)-प्रतिवादी संख्या 4 को अध्यक्ष, एम.सी. के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया-उसे चुनौती- क्या एमसी के अध्यक्ष का पद, जो रोटेशन द्वारा एस.सी., महिला, बी.सी. और सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के बदले में आरक्षित श्रेणी से संबंधित व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जा सकता है - अभिनिर्णीत, नहीं - तीसरे प्रावधान में निर्धारित रोटेशन का उल्लंघन नियम 70(4)- अपील की अनुमति, प्रतिवादी का चुनाव रद्द कर दिया गया।

माना गया कि यदि पिछड़े वर्ग के वार्ड से निर्वाचित उम्मीदवार को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो नियम 70(4) के तीसरे प्रावधान में निर्धारित रोटेशन का उल्लंघन होगा। इस उल्लंघन का एक उदाहरण उचित होगा. रोटेशन के अनुसार, चार श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी पांच साल की अवधि के लिए अध्यक्ष पद की हकदार होती है। यदि अन्य आरक्षित श्रेणियां सामान्य श्रेणी का अतिक्रमण करती हैं, तो एक चौथाई सदी के बाद भी सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हो सकता है। क्योंकि तब भी कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं चुना जा सकता है, क्योंकि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ने के हकदार होंगे।इसलिए, हम वैधानिक प्रावधानों के बारे में अपनी समझ के प्रति आश्वस्त हैं कि पिछड़े वर्ग के वार्ड से निर्वाचित कोई उम्मीदवार, सामान्य वार्ड से चुने गए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार से अलग, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है रोस्टर के अनुसार ।

आगे अभिनिर्णीत कि अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था। प्रतिवादी संख्या 4 को माना जाता है कि वह पिछड़े वर्ग के वार्ड से चुना गया था और इसलिए, रोस्टर बिंदु को सीमित करने वाली अधिसूचना के अनुसार, उसे सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

क्योंकि उनके चुनाव से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या में वृद्धि हुई और यह इस रोस्टर का उल्लंघन था। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 का चुनाव नियमों के नियम 70 (4) के पहले प्रावधान के अनुसार गणना किए गए आरक्षण के प्रतिशत से अधिक है और नियम 70(4)नियमावली के तीसरे परंतुक के तहत प्रदान किए गए रोस्टर/आवंटन का उल्लंघन है।

रामेश्वर मलिक, अतिरिक्त ए.जी. हरियाणा, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 के लिए।
अक्षय भान, प्रतिवादी संख्या 4 के वकील।

विजेंदर जैन, मुख्य न्यायाधीश,

(1) वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, दिनांक 15 नवंबर, 2006 को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा भरे गए 2006 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14083 को खारिज कर दिया गया है।

(2) अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर करके, 29 अगस्त, 2006 के आदेश/कार्यवाही को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग की, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 4 को हिसार, नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था।

(3) प्रारंभिक कानूनी मुद्दा, सहायक मुद्दों के साथ, हमारे सामने उठाया गया, यह है कि क्या नगर परिषद के अध्यक्ष का एक पद, जो रोटेशन द्वारा, सामान्य वर्ग के बदले अनुसूचित जाति, महिला, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग उम्मीदवार के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के आरक्षित वर्ग से संबंधित व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जा सकता है, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित वार्ड से चुने गए नगर पार्षद द्वारा महिला को नियुक्त किया जा सकता है।

(4) इससे पहले कि हम हमारे सामने उठाए गए कानूनी मुद्दों पर ध्यान दें, तथ्यात्मक मैट्रिक्स को निर्धारित करना आवश्यक होगा, जिस पर निर्णय के लिए उपरोक्त मुद्दा उठता है।

(5) नगर परिषदों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए चुनाव होते हैं और नगर पार्षद चुने जाते हैं। नगर पार्षदों को उनमें से एक को नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुनना होता है, जिसे नगर परिषद का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नगर पार्षदों के चुनाव की सुविधा के लिए नगर परिषद, हिसार को 31 वार्डों में विभाजित किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243टी के आदेश को प्रभावी करने के लिए, जो आरक्षण प्रदान करता है, 31 वार्डों में से क्रमशः 15 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए, 5 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए, 2 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए और 9 वार्ड महिला वर्ग के लिए थे। अपीलकर्ता को सामान्य श्रेणी के वार्ड नंबर 2 से नगर पार्षद के रूप में

चुना गया था, जबकि प्रतिवादी नंबर 4 को वार्ड नंबर 18 से नगर पार्षद के रूप में चुना गया था, जो विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित था। 29 अगस्त, 2006 को प्रातः 11.00 बजे नगर परिषद, हिसार के अध्यक्ष पद के लिए नगर मजिस्ट्रेट-सह-विहित प्राधिकारी, हिसार (प्रतिवादी संख्या 3) की अध्यक्षता में नगर परिषद, हिसार के कार्यालय में चुनाव हुआ। अधिसूचना की अनुसूची 3 (अनुलग्नक पी-2) के अनुसार, हिसार से संबंधित प्रविष्टि संख्या 26 पर, अध्यक्ष का पद नगर पालिकाओं की सूची में दिखाया गया है, जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है।

(6) प्रतिवादी क्रमांक 4, जो पिछड़े वर्ग के वार्ड से निर्वाचित हुआ था, ने नगरपालिका समिति, हिसार के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। अपीलकर्ता ने भी चुनाव लड़ा लेकिन छह वोटों से हार गया। चुनाव के समय, रिट याचिका के पैरा 10 में कहा गया है कि अपीलकर्ता द्वारा एक आपत्ति उठाई गई थी कि प्रतिवादी संख्या 4, पिछड़े वर्ग के वार्ड से सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि अध्यक्ष का पद केवल सामान्य वर्ग से ही हो सकता है। उनकी आपत्ति पर विचार नहीं किया गया और निर्णय नहीं लिया गया और प्रतिवादी नंबर 4 को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई और उन्हें अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 के चुनाव से व्यथित होकर, 2006 का सीडब्ल्यूपी संख्या 14083 दायर किया गया था।

(7) संविधान के अनुच्छेद 243टी को प्रभावी बनाने के लिए, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10(5) (इसके बाद संक्षेप में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम,1978 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित), के उप-नियम 70 के साथ पढ़ें, राज्य सरकार ने 8 अप्रैल, 2005 को एक अधिसूचना (अनुलग्नक पी-2) जारी की, जिसके तहत हरियाणा राज्य में विभिन्न नगर परिषदों के अध्यक्ष के पद सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए और इस उद्देश्य के लिए, 4 अप्रैल, 2005 को कामा झील, कमल में लॉटरी का आयोजन किया गया।अधिसूचना की अनुसूची 1 में 9 नगर परिषदें शामिल हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं और 3 नगर परिषदें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। अनुसूची 2 में पाँच नगर परिषदों की सूची है, जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित थीं और इसके अलावा, दो नगर परिषदें, जहाँ अध्यक्ष का पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित था। अनुसूची 3 में 35 नगर पालिकाओं की सूची है, जहां अध्यक्ष सामान्य वर्ग से चुना जाना था। इसमें 12 नगर पालिकाओं की सूची भी शामिल है, जहां अध्यक्ष सामान्य वर्ग की महिला होनी चाहिए।

(8) इससे पहले कि हम पक्षों के वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान दें, और विवाद के संपूर्ण पहलू की सराहना करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243टी और अधिनियम की धारा 18 को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो निम्नानुसार पढ़ें:-

"**243 टी.- सीटों का आरक्षण**- (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रो ं को चक्रानुक्रम स ं आबंटित किए जा सकेंगे।
(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे।
(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नही ं रहेगा।
(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

"**18. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव**-(1) प्रत्येक नगर पालिका समिति या नगर परिषद, समय-समय पर, अपने सदस्यों में से एक को ऐसी अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में चुनेगी, जो निर्धारित की जा सकती है, और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य नगर पालिका या नगरपालिका का अध्यक्ष बनेगा:

अपवाद यह कि नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष का पद धारा 10 में किये गये प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।

अपवाद कि यदि अध्यक्ष का पद उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु, इस्तीफे या अविश्वास प्रस्ताव के कारण खाली हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए उसी श्रेणी से नया चुनाव कराया जाएगा।

(2) प्रत्येक नगर पालिका समिति या नगर परिषद समय-समय पर अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी:

अपवाद कि यदि उपअध्यक्ष का पद उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु, इस्तीफे या अविश्वास प्रस्ताव के कारण खाली हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए नया चुनाव कराया जाएगा।

(3) अध्यक्ष के पद का कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के लिए या सदस्य के रूप में उनके कार्यालय की शेष अवधि के लिए होगा, जो भी कम हो।"

(9) विवाद अधिनियम की धारा 10(5) और नियमों के नियम 70 के उप-नियम (4) के आसपास भी घूमता है, जो इस प्रकार है:-

"10(5) नगर पालिकाओं में अध्यक्षों का पद सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के सदस्यों में से रोटेशन और निर्धारित तरीके से लाट द्वारा भरा जाएगा।"

"70(4)- नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के सदस्यों में से रोटेशन के आधार पर भरे जाएंगे, जो नीचे दिए गए तरीके से निर्धारित किया जाएगा:
बशर्ते कि राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या नगर पालिकाओं के ऐसे कुल कार्यालयों की संख्या के समान अनुपात में हो, जैसा कि राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या है। राज्य की कुल जनसंख्या का भार राज्य पर पड़ता है:
बशर्ते कि नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कार्यालय भी शामिल हैं। महिलाओं के लिए कार्यालयों का आरक्षण अलग-अलग नगर पालिकाओं में बारी-बारी से किया जाएगा, जिसे निदेशक, स्थानीय निकाय और संबंधित जिलों के उपायुक्तों या उनके नामांकित व्यक्ति की एक समिति द्वारा ड्रॉ द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि आरक्षित वर्ग की महिलाएँ उपलब्ध न हों तो अध्यक्ष का पद उक्त आरक्षित वर्ग के पुरुष सदस्य से भरा जायेगा।

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए अध्यक्ष के पदों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी और अलग-अलग नगर पालिकाओं में बारी-बारी से होगी, सबसे पहले, अनुसूचित जातियों की सबसे बड़ी आबादी वाली, दूसरे, शेष नगर पालिकाओं से, जिनकी अगली सबसे बड़ी आबादी होगी। और इसी तरह। यदि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के संबंध में दो नगर पालिकाओं या नगर परिषदों की जनसंख्या का प्रतिशत समान है, तो आरक्षण का निर्धारण निदेशक, स्थानीय निकाय और संबंधित जिले के उपायुक्त की एक समिति द्वारा आयोजित ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। उनके नामांकित व्यक्ति का:

बशर्ते कि नगर परिषद के कार्यालय पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होने की स्थिति में, अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के सदस्यों में से चुना जाएगा और नगर पालिका समिति के मामले

में, पिछड़े वर्ग के सदस्य को निर्वाचित माना जाएगा। नगर पालिका का अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।"

(10)विद्वान एकल न्यायाधीश ने, पक्षों के वकील को सुनने के बाद, **वी.वी. गिरी** बनाम **डी. सूरी डोरा और अन्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।[1] यह निष्कर्ष निकालना कि आरक्षित श्रेणी के किसी सदस्य को सामान्य सीट के लिए चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया है।इस निष्कर्ष को मजबूत करने के लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने **चंद्र प्रकाश तिवारी और अन्य बनाम शकुंतला और अन्य[2] और भारत संघ और अन्य बनाम सत्य प्रकाश और अन्य** के फैसले पर भी भरोसा किया।[3] विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, जिन्हें यहां ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार कहा: -"सामान्य" शब्द एक संपूर्ण वर्ग से संबंधित है, जिसे प्रतिबंधित या विशिष्ट नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसमें आरक्षित वर्ग के सदस्य भी शामिल होंगे। अन्यथा भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नगर परिषद के चुनाव के संबंध में प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह व्यवस्था दी है कि जो व्यक्ति आरक्षित श्रेणी का है और सामान्य वर्ग से निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त लोकप्रिय है, उसे तब अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता जब यह पद केवल सामान्य वर्ग से भरा जाना आवश्यक हो।

इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि जब पद धारा 10(5) के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाना है, तो आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है, यदि वे इतने लोकप्रिय हैं कि चुनाव लड़ सकें जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है।

इस प्रकार, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया गया है।"

(11)इस पीठ के समक्ष दुविधा बढ़ गई है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 4 के वकील दोनों ने **कसमभाई एफ. घांची बनाम चंदूभाई डी. राजपूत और अन्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है,[4]और हमसे उनके पक्ष में फैसले की व्याख्या करने के लिए कहा है। उपरोक्त निर्णय में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या कोई व्यक्ति जो पिछड़े वर्ग से है, लेकिन अनारक्षित सीट से चुना गया है, नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, जो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक उम्मीदवार, जो गैर-आरक्षित सीट से चुना गया है, लेकिन

---

[1] AIR 1959 S.C. 1318
[2] (2002)6 SCC 127
[3] (3) (2006)4 SCC 550
[4] 1998(2) PLR 611

पिछड़े वर्ग से है, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। **सरस्वती देवी बनाम शांति देवी (श्रीमती) और अन्य**[5] मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले को खारिज कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने **कसामभाई एफ. घांची के मामले (सुप्रा**) के पैरा 13 पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए कहा कि प्रतिवादी नंबर 4 अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए पात्र था,जबकि अपीलकर्ता के वकील ने यह तर्क देने के लिए निर्णय के पैरा 12 पर अंतर्निहित निर्भरता रखी है कि एक बार जब रोस्टर एक श्रेणी तय कर देता है जिसके लिए चुनाव किया जा सकता है, तो अध्यक्ष के पद के लिए, जो सामान्य श्रेणी के लिए है,पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़कर अध्यक्ष नहीं बन सकते।

(12)अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. चोपड़ा ने तर्क दिया है कि यदि रोटेशन के सिद्धांत का सख्ती से पालन नहीं किया गया, तो बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पांच साल के लिए अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को दिया जाएगा, फिर अगले पांच साल के लिए पिछड़ा वर्ग को, फिर अगले पांच साल के लिए महिला को और जब चक्रानुक्रम में सामान्य वर्ग की बारी आएगी, यदि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को अध्यक्ष बनने की अनुमति दी गई तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की बारी 35 वर्षों तक नहीं आएगी। हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243T का उद्देश्य सोशल इंजीनियरिंग है और समाज के सभी वर्गों के बीच सद्भाव पैदा करना है और आने वाले समय में किसी विशेष वर्ग को अध्यक्ष के पद से वंचित करना नहीं है। हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया है कि यदि यह अनुमति दी जाती है कि आरक्षित वार्ड से निर्वाचित उम्मीदवार सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ सकता है, तो सामान्य वर्ग का उम्मीदवार कभी अध्यक्ष नहीं बन पाएगा और सामाजिक अशांति होना तय है।

(13)यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि नियमों के नियम 70(4) के पहले परंतुक के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग आदि के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या नगर पालिकाओं में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या का वही अनुपात होगा जो राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से है, अर्थात आरक्षित कार्यालयों की संख्या का राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में आरक्षित श्रेणियों की जनसंख्या के प्रतिशत से सीधा संबंध होगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि पिछड़े वर्ग के वार्ड से निर्वाचित उम्मीदवार को सामान्य उम्मीदवार के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, नियमों के नियम 70(4) का पालन करने वाले परंतुक के अनुसार गणना किया गया प्रतिशत, परंतुक में निर्धारित नियम के अनुसार गणना की गई संख्या से अधिक होगा। यह आग्रह किया जाता है कि नियमों के नियम 70(4) के पहले परंतुक में "कार्यालयों की संख्या" शब्दों का उपयोग, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों आदि द्वारा धारित कार्यालयों की संख्या को सीमित करने के विधायी इरादे को इंगित करता है। उनकी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के

[5] 1997(2) PLR 421

अनुपात में है। यदि आरक्षित सीट से निर्वाचित उम्मीदवार को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह नियमों के नियम 70(4) के पहले प्रावधान के तहत निर्धारित आरक्षित पदों की संख्या का उल्लंघन होगा।

(14)इन तर्कों का प्रतिकार करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अक्षय भान ने हमारे समक्ष आग्रह किया है कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और महिलाएं ऐसी श्रेणियां हैं जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को बाहर कर देती हैं, जबकि सामान्य श्रेणी में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और महिलाएं शामिल हैं। इसलिए जब पद सामान्य वर्ग के लिए देय हो तो इस वर्ग के व्यक्ति पर चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। श्री अक्षय भान, एडवोकेट ने पुरजोर आग्रह किया है कि सामान्य श्रेणी एक अधिशेष श्रेणी है, जबकि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाएँ सामान्य श्रेणी की प्रजातियाँ हैं।' प्रतिवादी संख्या 4 के वकील द्वारा आगे कहा गया है कि वैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को बढ़ावा देना है, इसलिए, जब लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा चुनाव के माध्यम से परिलक्षित होती है तो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के समय , पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से बाहर नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो यह न्यायालय सामान्य सदन की इच्छा और इच्छाओं को रौंद नहीं सकता है, यदि उन्होंने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए स्वीकार कर लिया है।

(15)हमने पक्षों के वकील को सुना है, लागू फैसले और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया है।

(16)विद्वान एकल न्यायाधीश ने **कासंभाई एफ. घांची** के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्राथमिक निर्भरता रखते हुए, रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "सामान्य" शब्द को प्रतिबंधित या विशेष अर्थ नहीं दिया जा सकता है ताकि आरक्षित श्रेणी से संबंधित सदस्यों को बाहर रखा जा सके, प्रतिवादी संख्या 4 को राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए, **कासंभाई एफ. घांची** के मामले (सुप्रा) में फैसले का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

(17)कसामभाई एफ. घांची के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया प्रश्न इस प्रकार है:-

“इस अपील में विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या अपीलकर्ता, जो पिछड़ा वर्ग से है, लेकिन एक अनारक्षित सीट से जंबुसर नगर पालिका के लिए चुना गया था, नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है जो आरक्षित था पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए या क्या उस पद के लिए उम्मीदवार

केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो उस सीट से नगर पालिका के लिए चुना गया था जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थी।

(18)माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद, माना कि वैधानिक प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से यह सुझाव नहीं देती है कि कोई व्यक्ति, जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित है और काफी लोकप्रिय है सामान्य वार्ड से निर्वाचित होने वाले को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, जब वह पद केवल आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति, अर्थात् पिछड़ा वर्ग द्वारा भरा जाना हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रतिपादन में संभवतः कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। हालाँकि, हमारी विनम्र राय में, वर्तमान रिट याचिका की स्थिति पूरी तरह से अलग है।

(19)प्रतिवादी संख्या 4 को पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित नगरपालिका वार्ड से चुना गया था। नियमों के नियम 70(4) के तीसरे प्रावधान में निर्धारित रोटेशन की नीति के आधार पर, और गणना के अनुसार, नियम 70(4) के पहले प्रावधान के संदर्भ में, राष्ट्रपति का पद एक सामान्य उम्मीदवार के लिए अलग रखा गया था याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर आपत्ति जताई कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 4 पिछड़े वर्ग के वार्ड से चुना गया था, इसलिए वह सामान्य उम्मीदवारों के लिए आरक्षित राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। याचिकाकर्ता की आपत्ति को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया और प्रतिवादी नंबर 4 को छह वोटों से निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

(20)अब जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या पिछड़ा वर्ग वार्ड से निर्वाचित उम्मीदवार सामान्य वर्ग को आवंटित अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, और यदि संविधान, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियम, या आरक्षण और रोटेशन प्रदान करने वाली अधिसूचना के कोई प्रावधान हैं।

(21)यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर **कासंभाई एफ. घांची** के मामले (सुप्रा) के फैसले के संदर्भ में दिया जाना था, तो उत्तर सरल और सीधा होगा, अर्थात्,किसी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को सामान्य उम्मीदवार के लिए आरक्षित पद पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में उत्तर इतना सीधा और सरल नहीं है, क्योंकि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 4 को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण और रोटेशन की अधिसूचना के अनुसार आरक्षित वार्ड से चुना गया था।

(22)अधिनियम की धारा 10(5) में प्रावधान है कि नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पद सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के सदस्यों में से रोटेशन और निर्धारित तरीके से लाट द्वारा भरे जाएंगे। . अधिनियम की धारा 10(5) में निर्धारित आदेश को आगे बढ़ाते हुए, नियमों के नियम 70(4) में प्रावधान है कि

राष्ट्रपति का पद सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और से संबंधित सदस्यों में से भरा जाएगा। महिलाएं बारी-बारी से नियमों के नियम 70(4) के पहले परंतुक में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पदों की संख्या अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जहां तक संभव हो, नगर पालिकाओं के ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या का वही अनुपात होगा जो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं की जनसंख्या का है। इसलिए, प्रावधान की आवश्यकता है कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित कार्यालयों की संख्या की गणना करते समय, उनकी आबादी राज्य की पूरी आबादी पर कितना प्रतिशत है प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या का आधार प्रदान करेगा। उपरोक्त प्रावधान की कार्यप्रणाली को दर्शाने वाला एक उदाहरण उपयुक्त होगा। यदि राज्य की जनसंख्या 100 मानी जाए और राज्य में पिछड़े वर्गों का प्रतिशत 20 माना जाए, तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले राष्ट्रपति के पदों की संख्या की गणना पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। पूरे राज्य की कुल जनसंख्या अर्थात 100:20 के अनुपात में। इसलिए, प्रावधान प्रत्येक श्रेणी, चाहे वह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या महिला हो, और परिणामस्वरूप सामान्य हो, के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की गणना करने की विधि निर्धारित करता है। चूंकि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के अनुपात की गणना की जानी है, पहले प्रावधान के अनुसार, इन सीटों की संख्या आवश्यक रूप से संख्या में निश्चित होगी और किसी भी अन्य कारक के कारण उनकी संख्या में कोई भी वृद्धि या कमी, हमारी सुविचारित राय में, नियमों के नियम 70(4) के पहले प्रावधान में निर्धारित सूत्र का उल्लंघन करेगी। यदि पिछड़े वर्ग के वार्ड से निर्वाचित उम्मीदवार को सामान्य उम्मीदवारों के लिए चक्रानुक्रम में आरक्षित अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, नियमों के नियम 70(4) के पहले प्रावधान और इस संबंध में जारी अधिसूचना, विभिन्न श्रेणियों के लिए रोटेशन निर्धारित करने के अनुसार, पिछड़े वर्गों द्वारा कब्जे वाले राष्ट्रपति के पदों की संख्या आवश्यक रूप से आरक्षित संख्या से अधिक होगी। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यद्यपि "सामान्य श्रेणी" शब्द, जैसा कि **कासंभाई एफ. घांची** के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, में उनकी जाति या स्थिति के बावजूद सभी श्रेणियां या वर्ग शामिल होंगे,लेकिन यदि आरक्षित वार्ड से निर्वाचित कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है, तो उसके चुनाव से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण और रोटेशन में वृद्धि होगी, जो पहले के अनुसार गणना के बाद निर्धारित किया गया है। नियमों के नियम 70(4) का परंतुक। अन्यथा भी, **कासंभाई एफ. घांची** के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोटेशन आदि के मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया गया।

(23)हमारे उपरोक्त निष्कर्षों को मजबूत करने के लिए, नियमों के नियम 70(4) के तीसरे प्रावधान का संदर्भ आवश्यक रूप से देना होगा। नियमावली के नियम 70(4) के तीसरे परन्तुक में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रपति

के पदों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। विभिन्न नगर पालिकाओं में, उसके तहत विस्तृत तरीके के अनुसार, अर्थात् नगर पालिकाओं की जनसंख्या के अनुसार, चक्राकार किया जाएगा। बड़ी नगर पालिकाओं को उनकी जनसंख्या के अनुसार पहले लिया जाएगा। इस प्रकार, यदि पिछड़े वर्ग के वार्ड से निर्वाचित उम्मीदवार को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो हमारी राय में, तीसरे प्रावधान में निर्धारित रोटेशन का उल्लंघन होगा। इस उल्लंघन का एक उदाहरण उचित होगा. रोटेशन के अनुसार, चार श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी पांच साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति पद की हकदार होती है। यदि अन्य आरक्षित श्रेणियां सामान्य श्रेणी का अतिक्रमण करती हैं, तो एक चौथाई सदी के बाद भी एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हो सकता है, क्योंकि तब भी एक सामान्य उम्मीदवार नहीं चुना जा सकता है। क्योंकि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ने के हकदार होंगे। इसलिए, हम वैधानिक प्रावधानों के बारे में अपनी समझ के प्रति आश्वस्त हैं कि पिछड़े वर्ग के वार्ड से निर्वाचित कोई उम्मीदवार, सामान्य वार्ड से चुने गए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार से अलग, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है,रोस्टर के अनुसार।

(24)ऊपर दर्ज हमारे निष्कर्षों को वर्तमान विवाद पर लागू करते हुए, राष्ट्रपति का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। माना जाता है कि प्रतिवादी नंबर 4 को पिछड़ा वर्ग वार्ड से चुना गया था और हमारी सुविचारित राय में, रोस्टर बिंदु को परिसीमित करने वाली अधिसूचना के अनुसार, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। क्योंकि उनके चुनाव से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या में वृद्धि हुई और यह इस रोस्टर का उल्लंघन था। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 का चुनाव नियमों के नियम 70(4) के पहले प्रावधान के अनुसार गणना किए गए आरक्षण के प्रतिशत से अधिक है और नियमावली के नियम 70(4) के तीसरे प्रावधान के तहत प्रदान किए गए रोस्टर/आवंटन का उल्लंघन है। हालाँकि जैसा कि **कासंभाई एफ. घांची** के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई भी व्यक्ति सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जहां पिछड़े वर्ग के वार्ड से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार का चुनाव होता है, तो आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या नियम 70 के पहले और तीसरे प्रावधानों के अनुसार गणना और आवंटित की गई संख्या से अधिक हो जाती है। (4) नियमों के अनुसार, यह आवश्यक रूप से यहां पहले उल्लिखित प्रावधानों के तहत निर्धारित फार्मूले के अनुसार गणना की गई कार्यालयों की संख्या को परेशान करेगा और नियम 70(4)नियम के तीसरे प्रावधान के तहत गणना किए गए रोस्टर के उल्लंघन का कारण बनेगा।

(25)यहां ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, लेटर्स पेटेंट अपील की अनुमति दी जाती है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, दिनांक 15 नवंबर, 2006 को रद्द कर दिया जाता है, और प्रतिवादी संख्या 4 के चुनाव को रद्द कर दिया जाता है।

. एक आवश्यक परिणाम के रूप में, हम उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 को निर्देशित करते हैं। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर नगर परिषद, हिसार के अध्यक्ष पद के लिए नया चुनाव कराएं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy,
Chandigarh